

13

पत्र संख्या-वि0(27)पी0को0-44/2017 749 (पे6) वि0.
बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

वि० नं०

मुकेश कुमार लाल,
सरकार के विशेष सचिव ।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक-29-7-2022

एन0पी0एस0 से संबंधित गतिविधियों के नियमित अनुश्रवण एवं
लंबित मामलों पर कार्रवाई के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में एन0पी0एस0 के
क्रियान्वयन के संदर्भ में पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली के द्वारा सरकार का
ध्यान कतिपय बिन्दुओं की ओर आकृष्ट किया गया है, जिन पर गंभीरतापूर्वक
त्व्रित कार्रवाई अपेक्षित है। कार्रवाई हेतु चिन्हित मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-

1. नवनियुक्त कर्मियों के निबंधन में विलंब :- राज्य में OPGM लागू
बावजूद नवनियुक्त कर्मियों को PRAN आवंटन में काफी विलंब हो रहा
है। इस संदर्भ में सुनिश्चित किया जाय कि संबंधित कर्मियों के
निर्वाह के समय ही PRAN आवंटन संबंधी प्रपत्र कर्मों से भरवा कर कोषागार
को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2. नामिती एवं मोबाइल संख्या से रहित PRAN :- सभी कोषागार
पदाधिकारी ऐसे मामलों की सूची संबंधित डी0डी0ओ0 को उपलब्ध करायेगे तथा
डी0डी0ओ0 संबंधित कर्मों से वांछित सूचना प्राप्त कर कोषागार को अग्रेतर
कार्यार्थ उपलब्ध करायेगे ।

3. Nil Credit PRAN :- सभी कोषागार पदाधिकारी छः माह से अधिक
के Nil Credit PRAN के संदर्भ में डी0डी0ओ0 से वस्तुस्थिति की सूचना प्राप्त
करते हुए उसे निष्क्रिय करने हेतु एन0एस0डी0एल0 को सूचित करेंगे ।

4. डी0डी0ओ0 द्वारा एन0एस0डी0एल0 के सिस्टम पर Log-in न
किया जाना :- डी0डी0ओ0 को एन0पी0एस0 गतिविधियों में सक्रियतापूर्वक भाग
लेने हेतु सी0आर0ए0 सिस्टम पर लॉग-इन करने हेतु निदेशित किया जाय ताकि
डैश बोर्ड का अवलोकन कर लंबित मामलों में ससमय कार्रवाई की जा सके ।

5. लंबित शिकायतों के मामले :- सभी डी0डी0ओ0/कोषागार पदाधिकारी
लंबित मामलों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यक होने पर
संबंधित प्राधिकार को ससमय अग्रसारित करेंगे ।

.....2

6. लंबित निकासी के मामले :- वर्तमान समय में आंशिक निकासी के 23 मामले जबकि अंतिम निकासी के 288 मामले (30.06.2022 तक) लंबित हैं। सभी डी०डी०ओ०/कोषागार पदाधिकारी अपने कार्यालय/कोषागार से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

7. सेवानिवृत्ति के बाद भी निकासी प्रक्रिया का आरंभ न होना :- ऐसे कुल 4157 मामलों की सूचना पी०एफ०आर०डी०ए० द्वारा प्रदान की गयी है। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कर्मों से वांछित सूचना प्राप्त करते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

8. क्लेम आई०डी० सृजित होने के पश्चात निकासी प्रक्रिया आरंभ न होना :- सभी कोषागार पदाधिकारी अपने कोषागार से संबंधित क्लेम आई०डी० के मामलों की सूचना प्रतिमाह संबंधित डी०डी०ओ० को अग्रतर कार्यार्थ उपलब्ध कराएंगे एवं संबंधित डी०डी०ओ० द्वारा इस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी।

9. सेवानिवृत्त कर्मियों के वार्षिकी खरीद में विलंब :- यद्यपि यह मामला संबंधित कर्मों से संबंधित है, तथापि डी०डी०ओ०/नोडल पदाधिकारी संबंधित कर्मों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि उपर्युक्त मामलों में अग्रतर कार्रवाई हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाय तथा एन०पी०एस० गतिविधियों के ससमय निष्पादन हेतु विभाग स्तर पर नियमित अनुश्रवण/समीक्षा की व्यवस्था की जाय।

विश्वासभाजन

(मुकेश कुमार लाल)

सरकार के विशेष सचिव।

24.7.22

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:-1/अ०प्र०-06-16/2018 4292 /पटना, दिनांक: 16/8/22

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05, 06, 07 एवं 12/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/8/22

(संजय दूबे)

सरकार के विशेष सचिव